

वित्त मंत्रालय

रिफंड राशि तेजी से जारी करना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की उच प्राथमिकता; 4.19 करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न्स प्रोसेस किये गए और चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 फरवरी, 2017 तक 1.62 करोड़ रिफ

Posted On: 13 FEB 2017 8:06PM by PIB Delhi

बैंगलुरू स्थित आयकर विभाग के केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 फरवरी, 2017 तक 4.19 करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न्स (आईटीआर) प्रोसेस कर लिये हैं और 1.62 करोड़ रिफंड जारी किये हैं। जारी की गई 1.42 लाख करोड़ रुपये की रिफंड राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 41.5 प्रतिशत अधिक है।

रिफंड राशि के काम को तेजी से निपटाने पर जोर देने के परिणामस्वरूप 60 दिनों के अंदर सभी आयकर रिटर्न्स प्रोसेस किये गए जो तेज गति से और अधिक प्रभावी रूप से करदाता सेवा उपलब्ध कराने के लिए सीबीडीटी की प्रतिबद्धता को प्रवर्शित करता है। छोटे कर दाताओं की रिफंड राशियों को तेजी से जारी करने के काम को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण जारी किए गए रिफंड में से 92 प्रतिशत मामले 50 हजार रूपये से कम राशि के हैं। 50 हजार रूपये से कम राशि के बकाया मामले 2 प्रतिशत से भी कम हैं। ऐसे अधिकांश मामले अभी हाल में दाखिल किए गए आईटीआर के हैं या विभाग को करदाता का जवाब प्रतिक्षित होने से संबंधित हैं।

कर दाताओं ने 10 फरवरी, 2017 तक 4.01 करोड़ की संख्या में इलेक्ट्रानिक रूप से आईटीआर दाखिल करके सीबीडीटी के ई-गवेंनेंस में विश्वास व्यक्त किया है। आईटीआर की यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा 60 लाख से भी अधिक अन्य ऑनलाइन फार्म दाखिल किए गए हैं जो पिछले साल की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत अधिक हैं। सीबीडीटी अपने कार्यक्रम ई-गवेंनेंस के माध्यम से यथा संभव श्रेष्ठ करदाता सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

वीके/आईपीएस/सीएस-390

(Release ID: 1482635) Visitor Counter: 5









'n